FORM NO III

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :– राकेश आदि बनाम हुक्माराम आदि

धारा :– 88 आर.टी.ए. मुकदमा नं0:– 27 / 2018

	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
	अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 28.2.2018 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण पेश हो। [signature]	
2/18	वकील वादीगण उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित। राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल फाईल किया। पत्रावली वास्ते आयन्दा कार्यवाही दिनांक 07/3/18 को पेश हो। [signature]	राकेश विकास [illegible]
	07/3/18 वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने कहा कि प्रतिवादी न० 3,4, के विरुद्ध कोई रिलिफ नहीं चाही गई है तलबी बन्द की जावे। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 9/3/18 को पेश हो। [signature]	[illegible] हुक्माराम अर्जुनीराम [illegible]
	9/3/18 वकील वादीगण उप0। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 5/4/18 को पेश हो। [signature]	

Legal Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

5-5-18 [illegible]

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उप खण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :— सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :— 27/2018

उन्वान मुकदमा :—

1. राकेश पुत्र हुक्माराम जाति जाट आयु 33 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 03, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2. विकाश पुत्र हुक्माराम जाति जाट आयु 29 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 03, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—: वादीगण

बनाम

1. हुक्माराम पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 03, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2. गुड्डी पत्नि हुक्माराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 03, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. शाखा प्रबन्धक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
4. श्रीमान तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—: प्रतिवादीगण

उपस्थिति अभिभाषक :— श्री योगेश झोरड़ अधिवक्ता वादीगण

श्री तरसेम सिह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय दिनांक 04.04.2018

वाद वादीगण जरिये अभिभाषक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 5.5.18 को पेश किया गया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वाद पत्र में उल्लेखित पक्षकारानों व्यवहारिक पता जाप्ता दीवानी का वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 01, वादीगण का पिता, प्रतिवादी संख्या 2, वादीगण की माता व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पति पत्नि है। प्रतिवादी सख्या 1 के नाम चक 26 एनडीआर 'बी' तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 47/39, पत्थर नम्बर 114/352, मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 9, 10, 12 ता 15 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 1.518 हैक्टेयर एंव इसी खाता के पत्थर नम्बर 113/354, मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 2 ता 9, 12, 13 कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 2.530 हैक्टेयर इस प्रकार कुल किता 16 कुल क्षेत्रफल 4.048 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि जो कि प्रतिवादीगण संख्या 01 के नाम दर्ज है, जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए वादीगण एंव प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 2 के मध्य बंटवारा किया हुआ है। इस प्रकार

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

नम्बर रजिस्टर	तारीख दायरा	तारीख फैसला	तादाद कागजात	
			क	ख
7/2018	9-1-...	6		

हनुमानगढ़

(3)

प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा संयुक्त परिवार में अपने नाम दर्ज कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए वादीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि एंव प्रतिवादीगण का घरू बंटवारा किया हुआ है जो कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से प्रत्येक वादीगण को 1–1 हैक्टेयर कृषि भूमि काश्त हेतु दी हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादीगण के अलावा शेष कृषि भूमि बहिस्सा बराबर काश्त कर रहे है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण परस्पर ही एक ही परिवार के सदस्य है एंव संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए संयुक्त रहते हुए वादीगण को प्राप्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि घराघरू बंटवारे में से वादीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का बंटवारा कर वादीगण का सौप दिया है एंव इसी अनुसार घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। इस प्रकार वाद पेश कर निवेदन किया कि कि मुताबिक घराघरू बंटवारा में प्राप्त चक 26 एनडीआर 'बी' तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 47/39, पत्थर नम्बर 114/352, मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 9, 10, 12 ता 15 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 1.518 हैक्टेयर एंव इसी खाता के पत्थर नम्बर 113/354, मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 2 ता 9, 12, 13 कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 2.530 हैक्टेयर इस प्रकार कुल किता 16 कुल क्षेत्रफल 4.048 हैक्टेयर कृषि भूमि में से प्रत्येक वादीगण को 1–1 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी चक 26 एन.डी.आर.'बी' पेश की जो शामिल मिसल के है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिससे प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर होकर अपना राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल तस्दीक किया गया।

उभय पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण पेश कर कथन किया कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को चक 26 एनडीआर 'बी' तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 47/39, पत्थर नम्बर 114/352, मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 9, 10, 12 ता 15 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 1.518 हैक्टेयर एंव इसी खाता के पत्थर नम्बर 113/354, मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 2 ता 9, 12, 13 कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 2.530 हैक्टेयर इस प्रकार कुल किता 16 कुल क्षेत्रफल 4.048 हैक्टेयर कृषि भूमि में से बहिस्सा बराबर बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु सहमत हुए है। प्रतिवादीगण को कोई आपति व ऐतराज नही है। अतः राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जावे।

उभय पक्षकारान के अभिभाषक की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण वादीगण, प्रतिवादीगण राजीनामा में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद राजीनामा अनुसार डिक्री फरामया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त निष्कर्ष है कि प्रतिवादी सख्या 1 के नाम चक 26 एनडीआर 'बी' तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 47/39, पत्थर नम्बर 114/352, मुरब्बा नम्बर 8 किला

सहायक कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

नम्बर 9, 10, 12 ता 15 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 1.518 हैक्टेयर एंव इसी खाता के पत्थर नम्बर 113/354, मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 2 ता 9, 12, 13 कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 2.530 हैक्टेयर इस प्रकार कुल किता 16 कुल क्षेत्रफल 4.048 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के दादा चुन्नीराम की भूमि थी जो उनकी मृत्यु होने के पश्चात विरासतन हक हिस्सा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 पर औद हुई, उक्त भूमि हिन्दू सिख परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का जन्म से अधिकार हासिल है। उक्त वादग्रस्त भूमि का घरू बंटवारा कर लिया है। मुताबिक घरू बंटवारा प्रत्येक वादी एंव प्रतिवादी सख्या 1 व 2 को चक 26 एनडीआर 'बी' तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 47/39, पत्थर नम्बर 114/352, मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 9, 10, 12 ता 15 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 1.518 हैक्टेयर एंव इसी खाता के पत्थर नम्बर 113/354, मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 2 ता 9, 12, 13 कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 2.530 हैक्टेयर इस प्रकार कुल किता 16 कुल क्षेत्रफल 4.048 हैक्टेयर कृषि भूमि में से बहिस्सा बराबर बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपति ऐतराज जाहिर नही किया गया तथा मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। वाद पत्र में मुख्य अनुतोष प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के विरूद्व चाहा गया है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का आपस में राजीनामा हो गया है, ऐसी स्थिति मे दावा किसी प्रकार का कोई विवाद नही होने के कारण तथा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने में उभय पक्ष सहमत होने के कारण दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अत: वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 26 एनडीआर 'बी' तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 47/39, पत्थर नम्बर 114/352, मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 9, 10, 12 ता 15 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 1.518 हैक्टेयर एंव इसी खाता के पत्थर नम्बर 113/354, मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 2 ता 9, 12, 13 कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 2.530 हैक्टेयर इस प्रकार कुल किता 16 कुल क्षेत्रफल 4.048 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रत्येक वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर बराबर के खातेदार काश्तकार है। बैक ऋण चुकता होने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। वाद व्यय उभय पक्ष वादीगण, प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनाक 5.5.18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़।

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

आज अदालत :– सहायक कलैक्टर एण्ड उपखण्डधिकारी मुकाम हनुमानगढ।

बईजलास :– सुरेन्द्र सिह पुरोहित, आर0ए0एस0,

राकेश आदि बनाम हुक्माराम आदि

दावा बाबत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, मुकदमा नम्बर 27 /2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी वादीगण एंव प्रतिवादीगण स्वयं पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी मुताबिक तजबीज अंतिम डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा के अनुसार चक 26 एनडीआर 'बी' तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 47/39, पत्थर नम्बर 114/352, मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 9, 10, 12 ता 15 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 1.518 हैक्टेयर एंव इसी खाता के पत्थर नम्बर 113/354, मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 2 ता 9, 12, 13 कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 2.530 हैक्टेयर इस प्रकार कुल किता 16 कुल क्षेत्रफल 4.048 हैक्टेयर कृषि भूमि में से प्रत्येक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार है, इसी अनुसार वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। राजीनामा निर्णय एंव डिक्री का भाग रहेगा। बाद रहन मुक्त इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

———— ५ ———— ५ ———— लीज

———— ५ ———— मुबलिग ———— ५ ———— बाबत ———— ५ ————

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद वशरह ———— ५ ————

से तारीख वसूलयाबी तक ———— ५ ————

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक ५ माह ५ सन् 2018 को जारी की गई

विवरण पक्षकार

1. राकेश पुत्र हुक्माराम जाति जाट आयु 33 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 03, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2. विकाश पुत्र हुक्माराम जाति जाट आयु 29 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 03, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—: वादीगण

बनाम

1. हुक्माराम पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 03, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2. गुड्डी पत्नि हुक्माराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 03, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. शाखा प्रबन्धक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
4. श्रीमान तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

—: प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner